

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 10.06.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्रमोद कुमार पुत्र राम किशोर नि० कूक नगर ग्रण्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-75/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. घनश्याम पुत्र जिया राम नि० खिरवा मौजा खिरई थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-123/21, 02. सुरेन्द्र पुत्र घनश्याम नि० खिरवा मौजा खिरई थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-124/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शिव मंगल पुत्र राम अचल, 02. सुनील पुत्र रामू निवासीगण खटिकन पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15-15 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-197/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.06.2021**

**थाना कटराबाजार ने अवैध तमंचों के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों—01. राजेश, 02. जवाहरलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त राजेश के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त जवाहरलाल के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. राजेश पुत्र मनोहर नि0 ग्राम पहाड़ापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. जवाहरलाल पुत्र परमेश्वर प्रसाद नि0 ग्राम पहाड़ापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—191/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—192/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ0नि0 लाल साहब मय टीम।
02. उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.06.2021**

**बलवा कर जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 09.05.2021 को थाना को० नगर क्षेत्र के अन्तर्गत 02 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा व मारपीट हुआ था जिसमें एक पक्ष द्वारा जानलेवा हमला करते हुए फायर किया गया था। जिसमें को० नगर पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त मुकुल चन्द्र यादव को आज दिनांक 10.06.2021 को मिश्रौलिया क्राँसिंग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तः—**

01. मुकुल चन्द्र यादव दत्तक पुत्र प्रेमशंकर नि० पोर्टरगंज पथवलिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—328/21, धारा 147,148,149,323,504,506,307,188,120बी भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधि० थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ०नि० सर्वजीत गुप्ता मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.06.2021**

**जालसाजी करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने मु०अ०सं०— 599/20, धारा 419,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों—01. तालुक दार, 02. विधा कहार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी मो० शाहिद पुत्र सादिक नि० मलियन डेहली जेट थाना को० नगर जनपद अलीगढ की फर्जी वसीयत तैयार कराकर कौड़िया धर्मपुर स्थित जमीन का बैनामा करा लिया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. तालुक दार पुत्र सूर्यबक्श नि० धर्मपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. विधा कहार पुत्र रामकिशुन नि० धर्मपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—599/20, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. उ०नि० चन्द्र प्रताप सिंह मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.06.2021**

**मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०देहात पुलिस ने मु०अ०सं०-539/20, धारा 323,504,506,327 भादवि व 3(1) द,ध एस०सी०एस०टी० एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अखिलेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. अखिलेश वर्मा पुत्र अवधेश कुमार वर्मा नि० पकड़ी केशवार थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-539/20, धारा 323.504.506.327 भादवि व 3(1) द,ध एस०सी०एस०टी० एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ०नि० कामेश्वर राय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.06.2021**

**बलवा कर मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस ने मु0अ0सं0-108/21, धारा 147,148,323,308 भादवि से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों— 01. वृक्षराज, 02. रामधन को मुखबिर खास की सूचना पर परसा सोहसा पानी टंकी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी अनिल कुमार वर्मा पुत्र दिलीप कुमार वर्मा नि0 परसा सोहसा झिंगुर पुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को बिजली के कनेक्शन की बात को लेकर बलवा करते हुए मारा-पीटा था। जिससे वादी मौके पर ही बेहोश हो गया था। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. वृक्षराज पुत्र विजयनाथ नि0 परसा सोहसा झिंगुर पुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. रामधन पुत्र शियाराम नि0 परसा सोहसा झिंगुर पुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-108/21, धारा 147,148,323,308 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ0नि0 कामेश्वर राम मय टीम।